



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय : 763 अण्णा सालै, चेन्नै-600 002



Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai Chennai 600 002

विषय - सूची CONTENTS

विषय - सूची / CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
नोटिस Notice	3
नोट Notes	4
व्याख्यात्मक कथन Explanatory Statement	6
घोषणा-पत्र Declaration Form	19
नामांकन-पत्र Nomination Form	21

विषय - सूची / CONTENTS	पृष्ठ संख्या Page No.
वैयक्तिक जानकारी Personal Information	23
उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश-पत्र और बैलट पत्र पास Attendance Slip & Entry Pass & Ballot Paper Pass	31
प्रॉक्सी फॉर्म Proxy Form	33
संबद्ध अधिनियमों तथा विनियमनों के उद्धरण Extract from Relevant Acts and Regulations	35

घटनाओं की मुख्य तिथियाँ IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

Sl. No.	घटनाओं की तिथियाँ CALENDAR OF EVENTS	तारीख Date	दिन Day
1.	ईजीएम में भाग लेने और मत प्रदान करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता तय करने की रिकॉर्ड तिथि और Record date for ascertaining the shareholders eligibility to attend the EGM and vote thereat	21.10.2011	शुक्रवार FRIDAY
2.	नामांकन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अंतिम-तिथि (को या उससे पहले) Last date for submission of nomination forms (on or before)	14.11.2011 (सायं 5.00 बजे) (05.00 P.M.)	सोमवार MONDAY
3.	नामांकन-पत्रों की संवीक्षा Scrutiny of Nominations	15.11.2011	मंगलवार TUESDAY
4.	प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए प्रॉक्सी फॉर्मों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए संकल्पों की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives.	24.11.2011 (सायं 5.00 बजे) (05.00 P.M.)	गुरुवार THURSDAY
5.	ईजीएम की तिथि व समय Date and Time of EGM	29.11.2011 (सुबह 10.00 बजे) (10.00 A.M.)	मंगलवार TUESDAY

रजिस्ट्रार व शेयर अंतरण एजेंट:
मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.
(यूनिट - इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)
सुब्रमणियन बिल्डिंग
प्रथम तल, नं.1 - क्लब हाउस रोड,
चेन्नै - 600 002
दूरभाष : 044 - 2846 0390 (छ: लाइनें)
044 - 2486 0395/0084
फैक्स : 044 - 2846 0129
ई मेल : cameo@cameoindia.com

Registrar and Share Transfer Agent:
M/s Cameo Corporate Services Ltd
(Unit-INDIAN OVERSEAS BANK)
Subramanian Building
I Floor, No.1, Club House Road
Chennai - 600002
Tel : 044 - 2846 0390 (Six Lines)/
044 - 2846 0395/0084
Fax : 044 - 2846 0129
Email: cameo@cameoindia.com





इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

INDIAN OVERSEAS BANK

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

शेयरधारकों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियमन 2003 (2008 तक संशोधित) के विनियम 57 के अनुसार इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की **असाधारण सामान्य बैठक मंगलवार, दिनांक 29 नवंबर 2011** को सुबह 10.00 बजे नारद गान सभा (सतगुरु ज्ञानानंद हॉल) 314, टी टी के रोड, चेन्नै 600 018 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :

वर्तमान शेयरधारकों के निदेशकों की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 08 दिसंबर 2008 को उत्पन्न होनेवाली रिक्ति की भर्ती हेतु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (एतत्पश्चात अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 19, बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (एतत्पश्चात विनियमन अधिनियम कहा जाएगा) 1970 के साथ पठित धारा 9(3)(i) के अनुसार प्राप्त वैध नामांकन तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, (एतत्पश्चात "योजना" कहा जाएगा), तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डी बी ओ डी. सं. बी सी. सं. 46 और 47 / 29.39.001 / 2007 - 08 दिनांकित 01.11.2007 और डी बी ओ डी. सं. बी सी. सं. 95 / 29.39.001 / 2010-11 दिनांकित 23 मई 2011 (एतत्पश्चात "भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना" कहा जाएगा) के अनुसार निर्धारित इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियमन 2003 (2008 तक संशोधित) (एतत्पश्चात "विनियमन" कहा जाएगा) के तहत केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का चयन करने के लिए निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया:

"अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ पठित तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों से चयनित तीन निदेशकों को एतद्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त करने तथा वर्तमान शेयरधारक निदेशकों की सेवानिवृत्ति तिथि का अगला दिन जो 8 दिसंबर 2011 को पदभार ग्रहण करने और निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर तीन साल की अवधि के लिए कार्यालय संभाला जाने के लिए एतद्वारा संकल्प किया गया।"

(निदेशक मंडल के आदेश से)
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

स्थान : चेन्नै 600 002
दिनांक : 3 अक्टूबर 2011

(एम. नरेंद्र)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that an **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF INDIAN OVERSEAS BANK** will be held on **TUESDAY, THE 29TH NOVEMBER, 2011** at 10.00 A.M. at Narada Gana Sabha (Sathguru Gnanananda Hall), 314 TTK Road, Chennai - 600 018 to transact the following business:

To elect **THREE** directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act"), read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the Regulation Act") the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification Nos. DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT three directors elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notification, be and are hereby appointed as Directors of the Bank and that they shall assume office from 8th December 2011 being the date subsequent to the date when the present shareholder Directors retire and hold office until the completion of a period of three years from the date of their assumption of office as Directors."

(By Order of the Board of Directors)
for **INDIAN OVERSEAS BANK**

Place: Chennai 600 002
Date: 3rd October 2011

(M Narendra)
Chairman & Managing Director



टिप्पणियाँ :

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कार्यवाही के संबंध में वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है ।

2. वोट देने का अधिकार

अधिनियम के खंड 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, समनुरूपी नए बैंक का **कोई भी शेयरधारक** बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा रखे गए किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

उक्त शर्त के आधार पर, विनियम 68 के अनुसार, उस प्रत्येक शेयरधारक को, जिसने **कट ऑफ तिथि यानि शुक्रवार 21 अक्टूबर 2011 तक**, शेयरधारक के रूप में अपने को पंजीकृत किया है उसे हाथ उठाकर वोट देने का अधिकार होगा और चुनाव होने पर उसके द्वारा रखे गये प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

विनियमनों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर स्थित हो तो वोटिंग की पंजी में जिस व्यक्ति का नाम पहले दर्ज है वही एकल शेयरधारक माना जायेगा। अतः यदि शेयर संयुक्त नामों पर स्थित है तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने, नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट डालने का पात्र होगा।

3. कट ऑफ तिथि (अंतिम तिथि)

विनियमनों के विनियम 12 के अनुक्रम में चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों, यानि नोटिस में उल्लिखित

अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व कर रहे तीन निदेशकों के चुनाव के लिए नामांकन करने, चुनाव लड़ने व वोट डालने के लिए पात्र, के नाम निर्धारित करने के उद्देश्य से कट ऑफ तिथि **शुक्रवार 21 अक्टूबर 2011** है ।

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो।

फिर भी इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

यदि कोई व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है तो उसे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी लिखत का अनुदानकर्ता उस बैठक में वोट करने का पात्र नहीं होगा जिससे संबंधित वह लिखत है।

प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए उसे असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम **चार दिन पूर्व** अर्थात् **गुरुवार, 24 नवंबर 2011 सायं 5.00 बजे** के पूर्व कार्य समाप्ति को या उससे पहले बैंक के केंद्रीय कार्यालय स्थित महा प्रबंधक (निवेशक संबंध), इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763, अण्णा सालू, चेन्नै 600 002 के यहाँ जमा करना चाहिए ।



NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The explanatory Statement setting out material facts in respect of business of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS

In terms of the sub-section (2E) of Section 3 of the Act, **no shareholder** of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on **the Cut off date i.e., Friday the 21st October 2011**, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. CUT OFF DATE

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations **Friday, the 21st October 2011 is the Cut off Date** for the purpose of determining the

names of shareholders entitled to participate in the election i.e. to nominate, contest and vote for the election of **THREE** directors representing the shareholders of the Bank as mentioned in the Notice.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the Meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.

As per Regulations 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form, in order to be effective, must be deposited / lodged at the Central Office of the Bank with the Assistant General Manager (Investor Relations Cell), Balance Sheet Management Department, Central Office, Indian Overseas Bank, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, at least **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before 05.00 pm, the closing hours of the Bank on Thursday, 24th November 2011.**



5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय निगम जो इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर धारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें यह पारित किया गया था, सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को सहायक महा प्रबंधक (निवेशक संबंध कक्ष), तुलन पत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् गुरुवार दिनांक 24 नवंबर 2011 सायं 5.00 बजे कार्य समाप्ति को या उससे पहले अवश्य जमा की जानी चाहिए।

6. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र-सह बैलट पत्र पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र-सह बैलट पत्र पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्राक्सीधारक/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र को भरकर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करे तथा उसे बैठक के स्थान पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारक के “प्राक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि” द्वारा उपस्थित पत्रक पर परोक्षी या प्रतिनिधि जैसी

भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

मतदान के समय बैलट पत्र प्राप्त करने के लिए बैलट पास एक भाग वापस करना होगा।

व्याख्यात्मक कथन

तीन शेयरधारकों का चुनाव

- निदेशकों का चुनाव करने के लिए शेयरधारकों के अधिकार

बैंक ने 25 नवंबर 2008 को आयोजित अपनी असाधारण सामान्य बैठक में केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों से तीन निदेशकों को निर्वाचित किया और उन्होंने विनियम 66 के निबंधनों के तहत 08 दिसंबर 2008 को कार्यभार ग्रहण किया। योजना के खण्ड 9 के अनुसार निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल 3 साल का होता है और इस तरह इन निदेशकों का कार्यकाल दिनांक 7 दिसंबर 2011 को समाप्त हो जाएगा।

तदनुसार 8 दिसंबर 2011 को उत्पन्न होने वाले रिक्त स्थानों की भर्ती के लिए बैंक को प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरधारकों में से तीन निदेशकों का चुनाव करने हेतु एक असाधारण सामान्य बैठक आयोजित की गयी।



5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Extraordinary General Meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be a true copy by the Chairman of the Meeting at which it was passed, shall have been deposited with the Assistant General Manager (Investor Relations Cell) Balance Sheet Management Department, Central Office, Indian Overseas Bank, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, at least **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. **on or before 05.00 pm, the closing hours of the Bank on Thursday, 24th November 2011.**

6. ATTENDANCE SLIP - CUM -ENTRY PASS- CUM- BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorised Representative

of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF THREE SHAREHOLDERS-DIRECTORS

- **RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTORS**

The Bank at its Extraordinary General Meeting held on 25th November 2008 elected three Directors from amongst the shareholders other than the Central Government, and they assumed office in terms of Regulation 66 of the Regulations on 8th December 2008. Pursuant to Clause 9 of the Scheme, the tenure of office of the elected Directors is for a period of three years and thus ends on 7th December 2011.

For filling the said vacancies that shall arise on 8th December 2011, the Bank has convened an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank in terms of the Regulations to elect three Directors from amongst shareholders other than Central Government.



कानूनी प्रावधान

निम्नलिखित सारणी इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों / विनियमों / अधिसूचनाओं में उपलब्ध प्रावधानों को सूचित करता है :

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचनाएँ	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949	धारा 20	⇒ किसी भी निदेशकों को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970	धारा 3(2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए)से (सी) धारा 9(3ए ए) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी)	⇒ मतदान अधिकारों पर प्रतिबंध ⇒ शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या ⇒ कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जानकारी ⇒ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुनने हेतु पात्र नहीं है बशर्ते वह ट्रेड रिकार्ड, निष्ठा व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित अन्य मानदंडों के अनुसार “सुयोग्य और समुचित” हैसियत रखता हो ⇒ चयनित निदेशक जो कथित अधिनियम की धारा 9 (3ए) तथा 9(3ए ए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है उसे भारतीय रिजर्व बैंक हटाने का अधिकार ⇒ विश्वसनीयता एवं गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970	खण्ड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11ए खण्ड 11बी खण्ड 12(8)	⇒ चयनित निदेशकों के कार्यावधि ⇒ बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने हेतु अयोग्य ⇒ निदेशकों का कार्यअवकाश ⇒ चुने गए निदेशक को कार्यालय से हटाना ⇒ चुने गए निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरना ⇒ निदेशकों द्वारा, जिन व्यवस्थाओं में उनकी रुचि है उसका प्रकटन
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 2003 (2008 तक संशोधित)	विनियमन 10 विनियमन 61 विनियमन 63 विनियमन 64 विनियमन 65 विनियमन 66 विनियमन 67 विनियमन 68 विनियमन 69 विनियमन 70	⇒ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ⇒ सामान्य बैठकों में मतदान ⇒ सामान्य बैठकों में निदेशकों का निर्वाचन ⇒ शेयरधारकों की सूची ⇒ चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन ⇒ नामांकनों का संवीक्षा ⇒ निर्वाचन विवाद ⇒ मतदान अधिकारों का निर्धारण ⇒ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान ⇒ प्रॉक्सी
आरबीआई अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 और डीबीओडी सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23.05.2011	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) और धारा 9(3एबी) के अनुसार	⇒ राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडल पर निर्वाचित निदेशकों के लिए सुयोग्य व समुचित मानदंड



LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME/ REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 20	⇒ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9 (3AA) Section 9 (3AB) Section 9 (3B) Section 13(2)	⇒ Restriction on voting rights ⇒ No. of directors to be elected by the shareholders ⇒ Special Knowledge in certain fields ⇒ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe ⇒ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) and 9 (3AA) of the said Act. ⇒ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12 (8)	⇒ Term of office of elected directors ⇒ Disqualifications from being elected as a Director of the bank ⇒ Vacation of office of Directors ⇒ Removal from office of an elected Director ⇒ Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director ⇒ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested
Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	⇒ Exercise of rights of joint holders ⇒ Voting at General Meetings ⇒ Directors to be elected at general meetings ⇒ List of Shareholders ⇒ Nomination of candidates for election ⇒ Scrutiny of nominations ⇒ Election disputes ⇒ Determination of voting rights ⇒ Voting by duly authorized representative ⇒ Proxies
RBI Notification No. DBOD No.BC No. 46 AND 47/ 29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 AND No.DBOD.No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	⇒ Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks



• वेब साइट में अधिनियमों / विनियमों / अधिसूचना का सार

शेयरधारकों की सुविधा हेतु विनियमन अधिनियम के संबंधित सार, अधिनियम, योजना तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना सं.डीबीओडी - बी सी.सं.46 और 47/29.39.001/ 2007-08 दिनांकित 01 नवंबर, 2007 और सं. डीबीओडी-बीसी.सं.95 और 47/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई, 2011 को बैंक की वेबसाइट www.iob.in उपलब्ध करायी जायेगी। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् 14.11.2011 को या उससे पहले (**सहायक महा प्रबंधक, निवेश संबंध कक्ष**), बैंक के केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 को संबोधित अनुरोध प्राप्त करने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ऐसे सार ईमेल के जरिए भी भेजे जायेंगे। इस नोटिस के अंत में भी उसे पुनः प्रस्तुत किया गया।

• सदस्य की अर्हताएँ

सदस्य के पास अधिनियम की धारा 9 (3ए) में निर्धारित योग्यताएँ होनी चाहिए और योजना के खंड 10 में विनिर्दिष्ट अयोग्यताएँ नहीं होनी चाहिए और साथ ही नीचे वर्णित अनुसार विनियमनों के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों का उसे पालन करना होगा ।

अ) अधिनियम की धारा 9 (3ए) के निबंधनों के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9 (3ए) के खंड (I) के तहत चुने जाने की की इच्छा रखता है तो उसे

क) निम्नलिखित एक या अधिक विषयों में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :

- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग

- किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि में नए बैंक के लिए उपयोगी हो ।

आ) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

इ) किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो ।

ख) अधिनियम की धारा 9 (3ए) के निबंधनों के अनुसार एक उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक हो, बैंक का निदेशक बनना चाहता हो तो उनको ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंड जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर इस संबंध में सूचित अनुसार “सुयोग्य एवं समुचित” प्रतिष्ठा-युक्त होना चाहिए। चयनित निदेशक को प्रतिज्ञा-पत्र विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ग) आगे, निर्वाचित निदेशक द्वारा प्रतिज्ञा पत्र - एक विलेख निष्पादित किया जाना है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके संबंध में निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

• बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अयोग्यता मानदंड

अ. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार निम्नलिखित तरह के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित और निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने के अयोग्य है :-

क. यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाता से धनादि के बदले अपराधदि रूप से छुटकारा पाया है, अथवा

ख. यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया है: अथवा

ग. यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने अपराधिक सजा सुनायी है अथवा उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा

घ. यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायिकी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायिकी बैंक में लाभ का पद धारित करता है किन्तु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (ई) व (एफ)



- **EXTRACTS OF ACTS/SCHEME/REGULATIONS / NOTIFICATION IN WEBSITE**

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from Regulation Act, the Act, the Scheme as well as RBI Notifications No.DBOD.BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 will be hosted in the Bank's website www.iob.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the **(Assistant General Manager, Investor Relations Cell)**, at the Bank's CENTRAL OFFICE: 763, ANNA SALAI CHENNAI 600 002, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 14.11.2011. The same are also reproduced at the end of this Notice.

- **QUALIFICATIONS FOR A CANDIDATE**

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein.

- (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

(A) have special knowledge or practical experience in one or more of the following matters namely:

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry

- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank,

or

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status' based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

- (c) Further the elected Director should execute a Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

- **DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:**

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e)



खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

और

आ) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी. सं बीसी.सं.46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01 11 2007, जो कि संख्या डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001 /2010-11 दिनांकित 23 05 2011 के साथ पढ़ी जानी है, के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा यदि वह “योग्य व उपयुक्त” नहीं पाया जाता।

• उम्मीदवारों को शेयरधारकों की सूची प्रदान करना

21 अक्टूबर 2011 तक के बैंक के शेयरधारकों की सूची बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी और इसे **शनिवार 05 नवंबर 2011** से चेन्नै पर देय माँग ड्राफ्ट द्वारा **रु.50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)** भुगतान करते हुए खरीदा जा सकता है। माँग ड्राफ्ट के साथ एक अनुरोध पत्र भी सहायक महा प्रबंधक, निवेशक संबंध कक्ष, तुलन पत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अणा सालै, चेन्नै - 600 002, को संबोधित किया जाना चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार शेयरधारकों की सूची भी जाँच सकते हैं और उनसे सार ले सकते हैं।

• शेयरधारकों की सूची की जाँच

शेयरधारकों की पंजी जाँच हेतु बैंक के केंद्रीय कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार को 3.00 से 5.00 बजे तक तथा शनिवार को 11.00 से 1.00 बजे तक (बैंक अवकाश को छोड़ कर) रखी जायेगी ताकि पंजी में से किसी अंश के उद्धरणों को उम्मीदवार हासिल कर सके या फिर प्रति हजार शब्द या उसके किसी भी हिस्से के लिए रु.5/- की दर से रकम का पूर्व चुकतान करने पर संबंधित हिस्सों के कंप्यूटर प्रिंट आउट देने के लिए बैंक से अनुरोध किया जा सकता है।

• चुनाव में प्रतिभागिता

21.10.2011 तक एनएसडीएल, सीडीएसएल, एसटीए द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों / लाभभोगी स्वामियों की पंजी में जिन शेयरधारकों के नाम प्रदर्शित होते हैं वे केंद्रीय सरकार

से इतर शेयरधारकों में से निदेशकों का चयन करने के लिए होने वाले चुनाव में नामांकन करने, चुनाव लड़ने व वोट डालने के पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार सामान्य बैठक की तिथि से पहले **कट ऑफ तिथि यानि 21.10.2011** तक अपने को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत करनेवाला शेयरधारक हाथ उठाकर वोट देने का अधिकार रखेगा और चुनाव होने पर उसके द्वारा रखे गये प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार उसे होगा।

• नामांकन

नामांकनों की वैधता

विनियमनों के विनियम 65 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं - संख्या डीबीओडी.सं.बीसी.सं.46 व 47 / 29.39.001/2007-08 दिनांकित 01.11.2007 को डीबीओडी.बीसी.सं.95/29.39.001 /2010-11 दिनांकित 23.05.2011 के साथ पढ़ा जाए और विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब:

क. वह दिनांक **21.10.2011** तक इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयर रखनेवाला एक शेयर धारक हो और दिनांक **29.11.2011** तक और उसके बाद भी न्यूनतम 100 शेयर रखना है अवधि की समाप्ति तक, यदि वह चुने जाते हैं तो;

ख. उसे, **14.11.2011** नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को इस विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियम या भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचनाओं के अधीन या इस योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।

ग. नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम एक सौ शेयर धारकों या उनके द्वारा विधिवत संघटित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कि कोई शेयर-धारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित कर 5 महा प्रबंधक (निवेशक संबंध कक्ष), तुलन पत्र प्रबंधन विभाग, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केंद्रीय



and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank

and

- (B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD.BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011, if he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

- **LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS**

A list of shareholders of the Bank as on **21st October 2011** will be available for sale on and from Saturday, **5th November 2011** onwards on payment of **Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only)** by Demand draft in favour of "Indian Overseas Bank" payable at Chennai, along with a request addressed to the Assistant General Manager, (Investor Relations Cell), Balance Sheet Management Department, Central Office, Indian Overseas Bank, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002. The intending candidates may also inspect the list of Shareholders and take extracts there from.

- **INSPECTION OF THE LIST OF SHAREHOLDERS**

The Register of Shareholders is open for inspection at the Central Office of the bank (other than Bank holidays) from Monday to Friday between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. and on Saturday between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. for the purpose of enabling the contestant to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer – prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or part thereof.

- **PARTICIPATION IN ELECTION**

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial owners as furnished by NSDL / CDSL / STA as on **21.10.2011**, shall be

entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder as on **21.10.2011**, the **Cut Off Date**, prior to the date of a general meeting, shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

- **NOMINATIONS:**

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India-DBOD. No. BC. No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 read with No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

- (a) he is a shareholder holding, as on **21.10.2011** a minimum of 100 (one hundred) shares in Indian Overseas Bank and continues to hold a minimum of 100 shares till **29.11.2011** and thereafter till the end of the tenure, if he is elected.
- (b) as on **14.11.2011** being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the Regulation Act, the Act, the Scheme, the Regulations or RBI Notifications.
- (c) the nomination is in writing signed by at least 100 shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Bank addressed to the General Manager (Investor Relations Cell), Balance Sheet Management Department, Central Office, Indian Overseas Bank, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002



कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।

घ. शेयरधारकों द्वारा दिये गये नामांकन (न्यूनतम 100) के साथ इस नोटिस में दर्शाये गये नामांकन व घोषणा के नमूने प्रपत्र अनुसार उम्मीदवार की यह घोषणा भी होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने का इच्छुक है तथा न तो बैंकिंग विनियमन अधिनियम या अधिनियम या फिर याजना व विनियमनों के तहत उसे निदेशक बनने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है तथा यह घोषणा उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आशवासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी है।

ड. नामांकन पत्र व घोषणा पत्र विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार तथा परिशिष्ट में जोड़े गये प्रपत्र के अनुसार है। (यह प्रपत्र बैंक की वेबसाइट www.iob.in में भी उपलब्ध है।)

नामांकन प्रपत्रों की प्रस्तुति

निदेशक पद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा रखनेवाले शेयरधारकों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा :

क. विधिवत तरह भरा हुआ घोषणा पत्र

ख. चुनाव में प्रतिभागिता करने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों से नामांकन

ग. व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा व वचन पत्र जो कि संबंधित दस्तावेजों व प्रमाणों जैसे बयोडाटा, शैक्षिक, अनुभव आदि के प्रमाण पत्र सहित।

इस नोटिस से जुड़े प्रपत्र में नामांकन एक मुहर बंद लिफाफे में **(सहायक महा प्रबंधक, निवेश संबंध कक्ष, तुलन पत्र प्रबंधन विभाग) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002** को पूर्ण रूप से भर कर संबंधित दस्तावेजों सहित किसी कार्यदिवस पर बैठक की तिथि से कम से कम 14 दिनों के पूर्व यानि **गुरुवार 14 दिसंबर 2011** के दिन 5.00 बजे बैंक के समापन समय तक या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

नामांकन की जांच और निदेशकों का चुनाव

क. नामांकनों की जांच नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के परवर्ती प्रथम कार्य दिवस यानी कि **मंगलवार 15 नवंबर 2011** को की जाएगी और यदि कोई नामांकन का वैध होना पाया नहीं जाता है तो इसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के बाद उसे अस्वीकार किया जाएगा।

ख. बोर्ड की नामांकन समिति, भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के ज़रिए जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकनों की छानबीन की जायेगी।

ग. चुनाव के ज़रिए यदि 3 रिक्तियों को भरना है और यदि तीन वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो नामित उम्मीदवार को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम और डाक पत्तों को निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में इस प्रयोजन के लिए आयोजित असाधारण सामान्य बैठक रद्द की जायेगी। फिर भी चयनित सदस्यों को 08 दिसंबर 2011 से ही कार्यभार संभालेंगे।

घ. चुनाव आयोजित होने की स्थिति में, यदि निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या तीन से वैध नामांकन अधिक हो, तो अधिक वोट प्राप्त उम्मीदवारों को चयनित माना जाएगा और अध्यक्ष द्वारा उनके नाम घोषित किये जायेंगे और समाचार पत्रों में भी मुद्रित किया जाएगा। वे कार्यभार दिनांक 08 दिसंबर 2011 से ग्रहण करेंगे।

ड. यदि कोई विवाद है तो उसे विनियमों के विनियम 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

29.11.2011 को चुनाव प्रक्रिया

निदेशकों के चुनाव के लिए वोटिंग हाथ दिखा कर वोट देने के आधार पर नहीं बल्कि गोपनीय मत पेट्टी के ज़रिए की जायेगी।

मत पत्र के जारी करने की प्रक्रिया अध्यक्ष द्वारा इस बारे में की गयी घोषणा के तुरंत बाद शुरू हो जायेगी और दोपहर के 1.00 बजे तक जारी रहेगी।

शेयर धारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए स्थापित किये गये काउंटरो पर मत पत्र जारी किये जायेंगे और यह तभी जारी किये जायेंगे जब पंजीकरण के समय जारी किये गये मत पत्र पास को सुपुर्द किया जाता है। मतों की संख्या 21 अक्टूबर 2011 तक उनके द्वारा रखे हुए शेयरों की संख्या के समतुल्य होगी।



and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.

- (d) thenominationsbytheshareholders(Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or Scheme or the Regulations.
- (e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed (the Proforma is also available on the Bank's Website: www.iob.in).

Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of Directors should submit

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to participate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc.,

in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the **(General Manager, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department)**, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Monday the 14th November 2011**.

• SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS

- (a) Nominations shall be scrutinised by the Bank on **Tuesday, 15.11.2011**, the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- (b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification.
- (c) If there are only three valid nominations for the three vacancies to be filled-in by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and their names and addresses shall be published as so elected. In such an event the Extraordinary General Meeting will stand cancelled. However, the elected candidates shall assume office only on 8th December 2011.
- (d) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than three, the candidates polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman and also published in newspapers. They will assume office on 8th December 2011.
- (e) If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Poll Process on 29.11.2011

The voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by Poll by means of Secret Ballot.

The issue of Ballot Paper will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue upto 1.00 p.m. Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / proxy holders / authorised representatives on surrender of Ballot Paper Pass issued at the time of registration. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 21st October 2011.



शेयरधारक मत पत्र में अपनी पसंद के तीनों उम्मीदवारों के नाम के आगे (X) चिह्न की खड्ड मुद्रा अंकित करते हुए अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और मत पत्र को मत दान पेटियों में डाल सकते हैं।

वोटों की गिनती इसके बाद शुरू होगी और नतीजें अध्यक्ष द्वारा घोषित किये जायेंगे। चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए नियुक्त एक रिटर्निंग अधिकारी तथा एक स्वतंत्र परामर्शदाता के संचालन में पूरी की जायेगी और यह पूरी प्रक्रिया केंद्रीय सरकार के एक नामिती द्वारा पर्यवेक्षित की जायेगी जो पर्यवेक्षक होंगे।

उम्मीदवारी को वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह सोमवार, 28 नवंबर 2011 को बैंक के समापन समय (शाम 5.00 बजे) से पहले किसी भी वक्त ऐसा करने का पात्र होगा।

निदेशकों की इच्छा

बैंक के निदेशकगण यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें कार्यवाही की उल्लिखित मद के बारे में पूरी जानकारी व दिलचस्पी रखनी होगी।

(निदेशक मंडल के आदेश से)

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 03.10.2011

(एम. नरेंद्र)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the names of three candidates of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box(es).

The Counting of votes would be taken up thereafter and the Results would be announced by the Chairman

The entire process of Election would be conducted by a) Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

Withdrawal of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on Monday, 28th November 2011.

Interest of Directors

Directors of Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the election.

By order of the Board of Directors
for **Indain Overseas Bank**

Place: CHENNAI.
Date: 03.10.2011

(M. Narendra)
Chairman & Managing Director



घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा) (विनियमनों का विनियम 65 देखें)

मैं _____ सुपत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____
_____ का निवासी एतद्वारा पुष्टि करता / करती हूँ कि _____

क) मैं **21-10-2011** यानी चुनाव में भाग लेने के लिए अधिलेख तारीख तक बैंक के _____ इक्विटी शेयर रखनेवाला शेयरधारक सदस्य हूँ;

ख) *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग अथवा अन्य किसी विषय में विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव है, अथवा _____ (भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि में किसी विषय का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव जो बैंक के लिए उपयोगी है) और / या मैं संबंधित अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3(i) के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा कृषकों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में मैं इसके साथ संबंधित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हूँ,

ग) मैं _____ संख्या में नामांकन स्वीकार करता हूँ, और

घ) मैं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक हूँ,

ड) अधिनियम, विनियम में और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के प्रावधानों के तहत बैंक का निदेशक बनने से मुझे अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

च) मैं लाभ प्राप्त करनेवाले किसी कार्यालय से संबद्ध नहीं हूँ और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा की 3 उपधारा 1 के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ और

छ) मैं अपना वैयक्तिक विवरण संलग्न करता हूँ जो मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही एवं पूर्ण है।

ज) बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चुने जाने पर प्रतिज्ञापत्र निष्पादित करने हेतु मैं इस घोषणा के बाद हुई किसी भी घटना की जानकारी जो पहले दी गई जानकारी से संबंधित है जो बैंक को यथाशीघ्र उपलब्ध करने का वचन देता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. / डी पी आइ डी सं. व क्लाइंट आइ डी सं.	
स्थान	
तारीख	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए _____
मुहर सहित हस्ताक्षर और

साक्षात्कृत अधिकारी का नाम

किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार ऑफ एश्युरेंस या उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक/ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक/ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर।

- जो लागू है उसे टिक कीजिए।

DECLARATION

(BY THE CANDIDATE)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____
_____ son/daughter of Shri/Smt. _____, residing
at _____ hereby confirm that

- a) I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on **21.10.2011, the Cut Off Date** for participating in the Elections and
- b) I have special knowledge or practical experience in* i) Agriculture and Rural Economy ii) Banking, iii) Co-operation, iv) Economics, v) Finance, vi) Law, vii) Small Scale Industry or _____ (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the bank) and / or I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of subsection 3A of Section 9 of the Act and as evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and .
- c) I accept the nominations numbering _____, and
- d) I am willing to contest the election for Director of Indian Overseas Bank, and
- e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations and RBI Notification, and
- f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and
- g) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete and
- h) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Name	
Signature	
Number of Shares	
Regd Folio / DP ID & Client ID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me
Signature with Seal and

Name of the attesting official

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationalised Bank.

*** Tick whichever is applicable.**

नामांकन फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा) (विनियमनों का विनियम 65 (डी) देखें)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै

चेन्नै - 600 002

प्रिय महोदय,

निदेशक के निर्वाचन के लिए नामांकन

दिनांकित 03-10-2011 के आपके नोटिस के संदर्भ में, मैं श्री/श्रीमती _____,

शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2011 (चुनाव में प्रतिभागिता करने के लिए अंतिम तिथि) को रु.10/- ईक्विटी शेयर के हिसाब से इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के _____ शेयर रखने वाले शेयरधारक के रूप में 29 नवंबर 2011 को आयोज्य बैंक

के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3)

(1) के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए श्री/श्रीमती _____

सुपुत्र/सुपुत्री _____ निवासी _____

_____ को एतद्वारा नामांकन करता /करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं.	
डी पी आइ डी सं. व क्लाइंट आइ डी सं.	
स्थान	
तारीख	

नोट :-

- यदि निकाय कार्पोरेट द्वारा नामांकन किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ, निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति जिस बैठक में वह पारित हुआ है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षरित सहित होनी चाहिए।
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलना चाहिए। स्व-सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो यहाँ लगाइये।

NOMINATION FORM

(BY THE SHAREHOLDER) (Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

INDIAN OVERSEAS BANK, CENTRAL OFFICE: 763, ANNA SALAI CHENNAI 600 002

To
The Chairman and Managing Director
Indian Overseas Bank,
Central Office,
763, Anna Salai,
Chennai – 600 002

Dear Sir,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated 03.10.2011, I, Shri/Smt _____
_____ a shareholder of Indian Overseas Bank, holding _____ equity shares
of Rs.10/- each on Friday, 21st October 2011 (being the cut off Date considered for participating in the
Election) do hereby **nominate** Shri / Smt. _____ son
/ daughter of Shri / Smt. _____ residing at _____

_____ for being elected as a Director of Indian Overseas Bank representing the shareholders of the Bank
as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings)
Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on 29th
November 2011.

Name	
Signature	
Number of Shares	
Regd Folio / DP ID & Client ID	
Place	
Date	

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.

वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचन

Affix Self
Attested
Passport Size
Photo here

दिनांक 2011 तक समुपयुक्त अनुलग्नकों सहित उम्मीदवार द्वारा घोषणा व वचन पत्र

I	उम्मीदवार के वैयक्तिक विवरण	
क.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
	पिता का पूरा नाम	
ख.	जन्म तिथि	
ग.	शैक्षणिक अर्हताएँ अर्हताएँ (शैक्षणिक /अकादमिक) [कृपया अर्हताओं के साक्ष्य में स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें]	
	अर्हताएँ (व्यावसायिक)[कृपया अर्हताओं के साक्ष्य में स्वसत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें]	
घ.	संबंधित ज्ञान का आधार तथा अनुभव [बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए) का संदर्भ लें ।] कृपया बैंक के निदेशकत्व से संबंधित आपका अनुभव सूचित करें) बैंक के निदेशकत्व से संबंधित कोई अन्य जानकारी	
ड.	स्थायी पता	
च.	वर्तमान पता	
छ.	ईमेल पता टेलिफोन नंबर (लैंड लाइन) टेलिफोन नंबर (मोबाइल)	

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION & UNDERTAKING

Affix Self
Attested
Passport Size
Photo here

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ____ 2011

I.	Personal details of the candidate	
a.	Full Name (in block capital letters)	
	Father's Name (in Full)	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualification Qualifications (Educational/academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	Qualifications (Professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
d.	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970. (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank). Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-Mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	

ज	1. स्थायी खाता संख्या [पेन] (आय कर अधिनियम के तहत) 2. आयकर सर्किल का नाम व पता जहाँ कर विवरणी भरी जाती है	
झ	संबंधित ज्ञान व अनुभव [बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए) का संदर्भ लें ।]	
त्र-	बैंक के निदेशकत्व से संबंधित कोई अन्य जानकारी	

II	उम्मीदवार का सुसंगत संबंध	
क.	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची , यदि कोई हो, जो बैंक से संबंध रखते हैं [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 व अनुसूची 1 ए के अनुसार]	
ख.	संस्थाओं की सूची जिनसे उम्मीदवार का हितबद्ध संबंध होना जाना जाता है [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(ए); धारा 300]	
ग.	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(एनई) के अर्थ में कंपनियों की सूची जिनसे उम्मीदवार का भरपूर अधिकृत संबंध होना जाना जाता है ।	
घ.	बैंक[ों] के नाम जिनमें उम्मीदवार मंडल के सदस्य हैं या रहे हैं [ऐसे पदभार की अवधि का विवरण दें]	
ड.	उम्मीदवार या उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचित किसी भी संस्थाओं द्वारा बैंक से वर्तमान में ली गई निधि या गैर-निधि आधारित सुविधाएँ, यदि कोई हों ।	

h.	(1) Permanent Account Number (under the Income Tax Act). (2) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980	
j.	Any other information relevant to Directorship of the Bank	

II	Relevant Relationships of Candidate	
a.	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)	
b.	List of entities if any in which he / she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956)	
c.	List of entities in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(n-e) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
d.	Name of Bank in which he / she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)	
e.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank	

च.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जिनमें उम्मीदवार या उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचित किसी भी संस्था बैंक से या किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्था से ली गई उधार सुविधाएँ बकाया है या बकाया रहे हैं	
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का विवरण	
क.	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियाँ, यदि कोई हों	
IV	निदेशक के विरुद्ध ली गई कार्रवाई, यदि कोई हो	
क.	यदि निदेशक किसी व्यवसायी संघ / निकाय के सदस्य हैं तो उनके विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या जारी है या कभी दोषी ठहराये गये हैं या उन पर किसी भी व्यवसाय / धंधा करने में किसी भी समय रोक लगाई गई है तो विवरण दें ।	
ख.	निदेशक और / या उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचित कंपनियों के विरुद्ध आर्थिक नियम व विनियमों के उल्लंघन के लिए मुकदमा, यदि कोई हो, लंबित है या जारी है या कभी दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें ।	
ग.	निदेशक के विरुद्ध यदि कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है, जारी है या कभी दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें ।	
घ.	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता के पात्र बने हैं ।	
ड.	निदेशक या उपर्युक्त II (ख) और (ग) में सूचित किसी भी कंपनी पर किसी भी सरकारी विभाग या एजेंसी के अनुरोध पर किसी भी तरह की जाँच-पड़ताल की गई है ।	
च.	यदि निदेशक किसी भी समय नियमों / विनियमों सीमा / उत्पाद / आय कर / विदेशी विनियम / अन्य राजस्व प्रधिकारियों से वांछित विधिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें	

f.	Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements relevant	
IV	Proceedings, if any, against the director	
a.	If the director is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession / occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and / or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
c.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director	
d.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?	
e.	Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
f.	Has the director at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	

छ.	क्या निदेशक सूचित किसी भी कंपनी पर सेबी, आर बी आइ, आइ अर डी ए, एम सी ए जैसे नियामकों द्वारा कभी विपरीत सूचना दी गई है । (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कॉलम में विनियामकों के उन आदेशों और नतीजों का उल्लेख करें जो बाद में उलट दिये गये हों/या अपास्त कर दिये गये हों , तथापि यह आवश्यक है कि उनका उल्लेख ऐसे मामलों में किया जाए जहाँ उलट दिये जाने / अपास्त किये जाने की क्रिया तकनीकी कारणों से हुई हो -जैसे न्यायाधिकार क्षेत्र आदि की कमी या उसका परिसीमन किया गया हो न कि गुणों के आधार पर । यदि विनियामक के किसी आदेश को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया हो और अपील /कोर्ट की कार्यवाही लंबित हो तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।)	
V	I से III तक के मदों के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण / जानकारी और अन्य जानकारी जो सुयोग्य व समुचित ठहराने के लिए सुसंगत हैं ।	

वचन

मैं _____ पुत्र श्री _____ पृष्ठ करता हूँ कि दी गई उपर्युक्त जानकारी मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है । मैं वचन देता हूँ कि अपनी नियुक्ति के पश्चात् होने वाली उन सभी घटनाओं से बैंक को पूर्ण रूप से यथाशीघ्र अवगत कराता रहूँगा जो मेरे द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त जानकारी से जुड़ी होंगी । मैं बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर औचित्य विलेख का निष्पादन करने का भी वचनबद्ध हूँ ।

स्थान :

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संलग्नक :

नोट :

- जहाँ कहीं पर्याप्त जगह न हो तो, अनुबंध संलग्न करें और उसमें कालक्रमानुसार जानकारी दें और उचित संदर्भों का भी उल्लेख करें ।
- उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ [अनुबंधों सहित] प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित है ।

नामांकन समिति की टिप्पणियाँ

तारीख :

स्थान :

1. _____ 2. _____ 3. _____

नामांकन समिति सदस्यों का हस्ताक्षर

g.	Whether the director at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA CIBIL etc, (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc, and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

Undertaking

I, _____ Son of Shri _____ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by all the Directors of the Bank.

Signature of the Candidate

Place :

Date:

Enclosures :

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observation of nomination committee:

Place:

Date:

1. _____ 2. _____ 3. _____

Signature of nomination committee members



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई - 600002

उपस्थित पर्ची - सह- प्रवेश पत्र- सह -बैलट पत्र पास असाधारण सामान्य बैठक

तारीख : मंगलवार 29 नवंबर 2011, सुबह 10.00 बजे

स्थान : नारद गान सभा (सतगुरु ज्ञानान्दा हाल) 314 टीटीके रोड, चेन्नई - 600 018

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रवेश के समय प्रस्तुत की जानी है)

नाम बडे अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/एआर)	फोलियो सं. /डीपीआइडी सं. / क्लाइट आइ डी सं.	शेयरों की संख्या

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

.....

----- ✂ ----- ✂ -----



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई

प्रवेश पत्र

(बैठक समाप्ति तक रखा जाना है)

असाधारण सामान्य बैठक - तारीख:: मंगलवार, 29 नवंबर 2011 :: सुबह 10.00 बजे

नाम बडे अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/एआर)	फोलियो सं. /डीपीआइडी सं. / क्लाइट आइ डी सं.	शेयरों की संख्या

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

.....

शेयरधारकों / प्राक्सी या शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त उपस्थित पर्ची -सह- प्रवेश - पर्ची -सह-बैलट पत्र पास बैंक के पास पंजीकृतानुसार विधिवत रूपसे हस्ताक्षर कर बैठक के स्थान पर प्रवेश के लिए प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र-बैलट पत्र पास का एक भाग को शेयरधारक/प्राक्सी धारक/प्रतिनिधि को बैठक की समाप्ति तक रखनी चाहिए। किसी भी हालत में बैठक के प्रवेश स्थान पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र सह बैलट पास नहीं दिया जाएगा।

----- ✂ ----- ✂ -----



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई - 600002

बैलट पत्र पास

(बैलट पत्र प्राप्त करने के लिए पोलिंग काउंटर में प्रस्तुत करना है)

असाधारण सामान्य बैठक - तारीख:: मंगलवार, 29 नवंबर 2011 :: सुबह 10.00 बजे

नाम बडे अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/एआर)	फोलियो सं. /डीपीआइडी सं. / क्लाइट आइ डी सं.	शेयरों की संख्या/ वोट

शेयरधारक/प्रॉक्सी/उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai Chennai 600 018

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Date : Tuesday , the 29th November 2011 at 10.00 A.M

At Narada Gana Sabha (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO No / DPID No / CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

— — — — — ✂ — — — — — ✂ — — — — —



Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai Chennai 600 018

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Date: Tuesday, the 29th November 2011 at 10.00 A.M

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO No / DPID No / CLIENT ID NO.	No. of Shares

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present

Shareholders/Proxy holders/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum-Entry pass-cum-Ballot Paper Pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass-Ballot Paper Pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, will any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass-cum Ballot Paper Pass be issued.

— — — — — ✂ — — — — — ✂ — — — — —



Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai Chennai 600 018

BALLOT PAPER PASS

(to be surrendered at the Polling Counters to get Ballot Paper)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Date: Tuesday, the 29th November 2011 at 10.00 A.M

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/AR)	FOLIO No / DPID No / CLIENT ID NO.	No. of Shares/ Votes

Signature of Shareholder/Proxy/Representative present



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालू, चेन्नई - 600002

प्रॉक्सी फॉर्म (फॉर्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत पृष्ठ सं.

(यदि बेकागज़ीकृत नहीं है)

डी पी आई डी सं.

क्लैट डी पी आई डी सं

(यदि बेकागज़ीकृत है)

मैं/हम, निवासी _____ जिला _____
राज्य _____ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ को,
अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ को, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर धारकों की मंगलवार, **29 नवंबर 2011** को सुबह 10.00 बजे नारद गान सभा, (सतगुरु ज्ञानान्दा हाल) 314 टीटीके रोड, चेन्नई 600 018 में होने वाली असाधारण सामान्य बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी (एवज़ी) के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2011 के _____ माह के _____ दिन हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथमनामित / एकल शेयर धारक के हस्ताक्षर

नाम और पता _____

राजस्व स्टैप

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक
 - एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - संघनिकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
- किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्राणित हो।
- क. मुख्तारनामा या अन्य कोई अधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या मुख्तारनामा या अन्य कोई अधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, सहायक महा प्रबंधक, (निवेश संबंध कक्ष), तुलन पत्र प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालू, चेन्नई - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् 24 नवंबर 2011, गुरुवार को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व जमा करा दिया जाना है।
- प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो।
- बैंक में जमा किया गया प्राक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
- दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर किए गए प्राक्सी के लिखत के मामले में एक ही फॉर्म निष्पादित किया जाना है।
- जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित असाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।



Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai Chennai 600 002

FORM OF PROXY (FORM 'B')

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.
(if not Dematerialised)

DP ID No.

Client ID No.
(if Dematerialised)

I / We _____ resident/s of _____
_____ in the district of _____
in the state of _____ being a shareholder / shareholders of Indian Overseas Bank
hereby appoint Shri / Smt. _____ resident of _____
_____ in the district of _____ in the state of _____
_____ or failing him, Shri / Smt. _____ resident of _____ in the
district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote for me / us
and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank
to be held on Tuesday, **29th November 2011** at 10 a.m. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda
Hall) 314 TTK Road, Chennai 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011.

Signature of the Proxy

Revenue
stamp

Signature of the first holder/sole holder

Name and Address _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an officer of Indian Overseas Bank.
- The proxy together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of the Bank with the Assistant General Manager (Investor Relations Cell), Balance Sheet Management Department, Central Office, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before 5.00 pm, the closing hours of the Bank on Thursday, 24th November 2011.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.**



निदेशकों का चुनाव

संबंधित अधिनियम, विनियमनों आदि का सार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार धारा 3 की उप धारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूँजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के संबंधित शर्तों यथा संशोधित तथा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003 (2008 तक संशोधित) की संबंधित धाराओं एवं विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 का सार

धारा 5 (एनइ) सारभूत हित

- (i) कंपनी से संबंधित अर्थात् किसी निजी व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या नाबालिग बच्चे द्वारा एकल रूप से या सामूहिक रूप से शेयर रखे जाने के कारण लाभकारी हित के लिए प्रदत्त राशि के मामले में पाँच लाख रुपयों से अधिक हो या कंपनी की प्रदत्त पूँजी का दस प्रतिशत हो, तो उनमें से जो भी कम हो, लागू होगी।
- (ii) फर्म के मामले में अर्थात् किसी निजी व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या नाबालिग बच्चे द्वारा एकल रूप से या सामूहिक रूप से रखे गये शेयर, जो कथित फर्म के सभी साझेदारों द्वारा लिये गये हैं और जो कुल पूँजी का दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धारा 20 :

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध

1. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी बैंकिंग कंपनी
- क) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा

ख) निम्नलिखित को या उनकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी।

- (i) अपने किसी निदेशक
- (ii) किसी भी फर्म जिसमें उनका कोई निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या
- (iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंध अधिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप में हितबद्ध हो, अथवा
- (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो।

2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उपधारा (1) के खण्ड (बी) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किन्तु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए।

बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक उचित समझे।



ELECTION OF DIRECTORS -

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3. The relevant sections of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, the relevant clauses of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions Scheme), 1970, as amended, and the relevant regulations of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008), respectively in this regard, are reproduced below for information of the shareholders.

EXTRACT OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Section 5 (n-e) “Substantial Interest

- (i) In relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less
- (ii) In relation to a firm, means the beneficial interest held therein by the individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Section 20:

Restriction on Loans and Advances:

1. Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), No banking company shall,-
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or

- b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -
 - i) any of its directors,
 - ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.

2. Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Cl. (b) of sub- section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a banking company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amount due to banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5:

PROVIDED that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5, and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:



यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।

3. उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।
4. जहां उप धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने के स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

व्याख्या - इस धारा में

- क) “**ऋण या अग्रिम**” में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगा जिसे रिजर्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सकें।
- ख) **निदेशक** से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।
5. अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई लेन-देन ऋण है या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन से मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इसपर उसका निर्णय अंतिम होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 का सार

मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई)

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर समनुरूपी नए बैंक का कोई भी

शेयरधारक उक्त समनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मण्डल का गठन

धारा 9(3)(i) जहां धारा 3 के उप धारा (2 ख) के खण्ड(ग) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी निम्नानुसार हो:

- i) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो अधिक से अधिक एक निदेशक
- ii) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो अधिक से अधिक दो निदेशकों
- iii) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो अधिकतम तीन निदेशक को केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने ही में से निर्वाचित किया जाएगा।

बशर्ते इस धारा के तहत ऐसे किन्हीं निदेशकों के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर खण्ड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक उक्त योजना में यथानिर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

धारा 9(3ए)

उपधारा 3 के खण्ड (h) के तहत निदेशक को नामित किया जाना है या खण्ड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक :

- क) निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होंगे:
 - i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था
 - ii) बैंकिंग
 - iii) सहकारिता
 - iv) अर्थशास्त्र
 - v) वित्त
 - vi) विधि
 - vii) लघु उद्योग
 - viii) ऐसा अन्य कोई विषय जिसका विशेष ज्ञान या जिसमें प्राप्त व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक के लिए उपयोगी होगा

ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करेंगे, या



PROVIDED FURTHER that this sub-section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

3. No Loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
4. Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that sub-section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation - In this Section -

- a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realised, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section;
 - b) "Director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
5. If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

EXTRACT OF THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970.

Restrictions on voting rights

Section 3(2E)

No Shareholder of the bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise

voting rights in respect of any shares held by him in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.

Composition of the Board of Directors.

Section 9(3)(i) where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is-

- (i) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one director;
- (ii) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two directors;
- (iii) more than thirty two per cent of the total paid up capital, three directors,

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Section 9(3A)

The Directors to be nominated under clause (h) or to be elected under clause (i) of sub-section (3) shall:

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
 - i) agriculture and rural economy
 - ii) banking
 - iii) co-operation
 - iv) economics
 - v) finance
 - vi) law
 - vii) small-scale industry
 - viii) any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the bank;

- (B) represent the interests of depositors; or



ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करेंगे।

धारा (3ए)

धारा (3ए) के प्रावधानों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह और इस अधिनियम में उल्लिखित किसी भी नियम के विपरित या निवर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के विपरित न होते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, उपधारा 3 खण्ड 1 के तहत तब तक निदेशक चुने जाने का पात्र नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने ट्रेड रिकार्ड, विश्वसनीयता और इस प्रकार के अन्य मानदंडों जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक इस संदर्भ में समय - समय पर अधिसूचित करता रहता है, को पूरा न करता हो।

धारा (3एबी)

भारतीय रिजर्व बैंक उप धारा 3(ए) के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचना में सुयोग्य एवं समुचित हैसियत का निर्धारण करने के प्राधिकार, इस तरह के निर्धारण की पद्धति, इस तरह के निर्धारणों के पालन के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले जिन्हें वांछित व संबंधित समझा जाता हो, को विनिर्दिष्ट करेगा।

धारा 9(3बी)

जहाँ रिजर्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक की उपधारा (3) के खण्ड(i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3 ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयर धारकों की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में किसी निदेशक को निर्वाचित होने तक ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत् निर्वाचित है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व

धारा 13(2)

प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकारी, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 का सार

खण्ड 4: नामिती निदेशकों की सेवानिवृत्ति की पद्धति में

अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के तहत खण्ड एच में संदर्भित निदेशकगण रोटेशन आधार पर तब रिटायर होंगे जब चुने गये निदेशकगण प्रभार ग्रहण करेंगे। इस तरह की अंतिम नामांकन की तारीख से पद पर सबसे लंबी अवधि पर बने रहने वाले निदेशक पहले रिटायर होंगे तथा उन व्यक्तियों के बीच जो एक ही दिन निदेशक बने हों और डिफाल्ट रूप से या फिर उनके बीच हुई किसी सहमति के आधार पर उन्हें रिटायर होना हो तो इस का निर्णय केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा।

खण्ड 9: निर्वाचित निदेशकों का सेवाकाल

9(4) निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारित नहीं करेगा।

खण्ड 10: बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव हेतु अयोग्यता

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनाये जाते समय उसे अयोग्य ठहराया जाएगा :

- क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा या चक्रवृद्ध किया हो, या
- ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो, या
- ग) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है किन्तु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (इ) व (एफ) खंडों के अंतर्गत तत्संबंधित नये बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।



(C) represent the interests of farmers, workers and artisans.

Section 9(3AA)

Without prejudice to the provisions of sub-section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause(i) of sub-section(3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB)

The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9 (3B)

Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfil the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and (3AA), as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2)

Every director, member of a local board or a committee, or auditor, adviser, officer or other employee of a bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

EXTRACT OF NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 4: Manner of Retirement of Nominee Directors

The directors referred to in clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act, shall retire by rotation, when the elected directors assume charge, in such manner that the directors who have been longest in office since last nomination, shall retire first and as between persons, who became directors on the same day, those who are to retire, shall, in default of or subject to any agreement among themselves, be decided by the Central Government.

Clause 9. Term of Office of elected directors

9 (4) An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10: Disqualification for directorship

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:-

- (a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or
- (c) if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude.; or
- (d) if he holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State bank of India Act, 1955. or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act. 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.



खण्ड 11 : निदेशक के पद का रिक्त होना

1. यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा ।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड(बी) या खण्ड(सी) या खण्ड(डी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा ।
3. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी ।

खण्ड 11 ए: निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयर धारक ऐसे सभी शेयर धारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयर धारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के ,खण्ड(i) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं ।

खण्ड 11 बी : निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना

11 बी (1): जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी ।

बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छः महीनों से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है ।

11 बी (2): उप खण्ड(1) के अंतर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा ।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा

खण्ड 12(8): राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा ।

बशर्ते इस उपखण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह

- i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सरकारी समिति में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है, या
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि यह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (इ) या (एफ) के अधीन नियुक्त निदेशक है।



Clause 11: Vacation of office of directors

- (1) If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- (2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act, may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government .
- (3) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A. Removal from office of an elected Director

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect instead of him another person to fill the vacancy.

Clause 11B. Filling of vacancy in the office of an elected Director

11B(1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.

Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining directors.

11B(2) A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor

Disclosure of Interest by Directors

Clause 12(8) A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalised bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalised bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal or
- (ii) an officer or other employee of the nationalised bank, if he is a Director referred to in clause (e) of clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.



इण्डियन ओवरसीज बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) का सार अध्याय II

(शेयर तथा शेयर पंजी)

10. संयुक्त शेयर धारकों द्वारा अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो पंजी में दर्ज पहले व्यक्ति के नाम को ही लाभांश की प्राप्ति, वोटिंग अधिकार, सर्विस नोटिस और इण्डियन ओवरसीजीज़ बैंक से संबंधित अन्य कोई मामले, शेयरों का अंतरण मात्र छोड़कर एक मात्र धारक माना जाएगा।

अध्याय - IV

(शेयर धारकों की बैठकें)

61 : सामान्य बैठक में वोटिंग

- (i) किसी भी सामान्य सभा में कोई भी संकल्प जिसे सभा के वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जब तक मतदान की मांग न की गई हो उसका निर्णय हाथ उठाकर सहमति के आधार पर तब माना जायेगा।
- (ii) अधिनियम से दिये गये प्रावधानों के अलावा सामान्य सभा के प्रस्तुत प्रत्येक मामले को बहुमत के आधार पर तय किया जाएगा।
- (iii) जब तक कि उपविनियम (i) के अंतर्गत मतदान की मांग न की गयी हो तब तक बैठक के अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा कि संकल्प, हाथ उठाने से पारित किय गया / नहीं किया गया था तो एकमत से अथवा विशिष्ट बहुमत से एवं इस आशय को एक प्रविष्टि उन बहियों में जिसमें कार्यवाही का कार्यवृत्त दिया गया हो वह इस तथ्य का इस प्रकार के संकल्प के पक्ष विपक्ष में डाले गये मतों की संख्या / अनुपात के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य होगा।
- (iv) किसी भी संकल्प पर हाथ उठाकर मतदान का परिणाम घोषित करने से पूर्व अथवा परिणाम करने पर सभा का अध्यक्ष उनके अपने प्रस्ताव पर मतदान के लिए आदेश दे सकता है और इस मामले में किसी शेयरधारक अथवा शेयर धारकों द्वारा जो सभा में स्वयं उपस्थित हो अथवा उनके परोक्षी के माध्यम से जिनके पास बैंक की शेयर धारिता है, जिनके द्वारा उन्हें संकल्प पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो किसी संकल्प पर कुल मताधिकार के पांचवे भाग से कम नहीं, के द्वारा मांग करने पर वह आदेश प्राप्त करेगी।
- (v) मतदान की मांग को मतदान की मांग करने वाले व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

(vi) स्थगन अथवा सभा के अध्यक्ष के चुनाव के मामले में मतदान की मांग को तुरंत हाथ से लिया जायेगा

(vii) किसी अन्य मामले पर मतदान की मांग को ऐसे समय के भीतर लिया जायेगा जो मांग किये जाने से 48 घंटे से अधिक नहीं हो जैसा कि बैठक के अध्यक्ष निर्देशित करें।

(viii) किसी व्यक्ति के मताधिकार की पात्रता तथा मतदान के मामले तथा कोई व्यक्ति कितने वोट देने के लिए सक्षम है सभी मामले में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय - V

(निदेशकों का चुनाव)

63. सामान्य बैठक में चुने जानेवाले निदेशक

- i) अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (i) के अधीन इण्डियन ओवरसीज बैंक की सामान्य बैठक में केंद्रीय सरकार को छोड़कर रजिस्टर में दर्ज शेयर धारकों द्वारा अपने ही में से निदेशक को चुन लिया जाएगा।
- ii) जहाँ किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, इसकी नोटिस बैठक के आयोजन संबंधी नोटिस में ही जोड़ दी जाएगी। इस प्रकार की हर नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जाएंगे।

64. शेयरधारकों की सूची

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु, रजिस्टर से उन शेयर धारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाएगा।
- ii) इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीख और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और इस सूची की प्रतियाँ खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए, निर्धारित तारीख से कम-से-कम तीन



**EXTRACT OF INDIAN OVERSEAS BANK
(SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS,
2003 (AMENDED UP TO 2008)**

CHAPTER II

(SHARES AND SHARE REGISTER)

10. Exercise of rights of joint holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matter connected with the Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

CHAPTER IV

(MEETINGS OF SHAREHOLDERS)

61. Voting at general meetings

- (i) At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- (ii) Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to a general meeting shall be decided by a majority of votes.
- (iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against, such resolution.
- (iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- (v) The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.

(vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of chairman of the meeting shall be taken forthwith.

(vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.

(viii) The decision of the chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in the case of poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

CHAPTER V

(ELECTION OF DIRECTORS)

63. Directors to be elected at general meeting

- (i) A director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of the Bank.
- (ii) Where an election of a director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

64. List of shareholders

- (i) For the purpose of election of a director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list



सप्तह पहले से निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय से आवेदन करने पर, उपलब्ध करायी जाएँगी।

65. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब
 - क. वह बैंक में कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखनेवाला एक शेयर धारक हो;
 - ख. उसे, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को इस अधिनियम के अधीन या इस योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो
 - ग. उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में माँग-राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उस से पूर्व माँग-राशि अदा कर दी हो।
 - घ. नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम एक सौ शेयर धारकों या उनके द्वारा विधिवत संघटित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कि कोई शेयर-धारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
 - ड. नामांकन में या उस के साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित एक इस आशय का घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि उसे इस अधिनियम के तहत या इस योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है ;
- ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेज सहित (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित तारीख से पूर्व 14 दिनों के अंदर-अंदर किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता।

66. नामांकनों की संवीक्षा

- (i) नामांकनों की प्राप्ति की निश्चित तारीख के बाद के प्रथम कार्यदिवस को उनकी संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरे जाने के लिए किसी एक खास रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन हो तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त चुन लिया गया मान लिया जाएगा और उसका नाम व पता उसके इस तरह चुन लिये जाने के रूप में प्रकाशित कर दिये जाएँगे। ऐसी हालत में इस प्रयोजन हेतु बुलायी गयी बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से ही बुलायी गयी हो तो वह रद्द हो जाएगी।
- ii) चुनाव होने की हालत में यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- iii) वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उस ने निर्वाचित होने के दिन से अपना पद-भार ग्रहण कर लिया है।

67. चुनाव संबंधी विवाद

- (i) निर्वाचित माने-गये या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में यदि कोई संदेह या विवाद उठता है, तो कोई इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का हक रखने वाला शेयर धारक हो ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 दिनों के अंदर-अंदर उसके संबंध में लिखित रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को सूचना भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन आधारों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा, जिन की वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह किया हो या विवाद उठाया हो।
- (ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना की प्राप्ति पर बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के



shall be available for purchase atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

65. Nomination of candidates for election

- (i) No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless ,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 (one hundred) shares in the Bank;
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under the Act or under the Scheme;
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of the Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

66. Scrutiny of nominations

- (i) Nominations shall be scrutinised on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

67. Election disputes

- (i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence,



खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे।

(iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जाँच पड़ताल करेगी और यदि वह पाती है कि चुनाव एक वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या, यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं था, तो वह जाँच-पड़ताल शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर-अंदर फिर से चुनाव कराने सहित ऐसा आदेश तैयार करेगी और ऐसा निर्देश देगी जो समिति को उस परिस्थिति में न्यायसंगत प्रतीत हो।

(iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय - VI

(शेयर धारकों के मतदान - अधिकार)

68. मतदान अधिकारों का निर्णय

- i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयर धारक, जिसका सामान्य बैठक की तारीख से पूर्व रजिस्टर बंद होने की तारीख तक शेयर-धारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो, ऐसी बैठक में हाथ दिखा कर एक मत और मतदान होने के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा
- ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंधों के अधीन, प्रत्येक शेयर धारक जो कि एक कम्पनी न हो, मतदान पूर्वोक्त रूप में करने का हक रखने वाला प्रत्येक शेयर धारक व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी के जरिए उपस्थित हो या जो एक कम्पनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्राक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयर धारक हाथ दिखा कर एक मत देने और मतदान होने के मामले में यहाँ ऊपर उप विनियम (i) में बताये अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।

व्याख्या: इस अध्याय के लिए 'कम्पनी' से आशय कोई नैगम निकाय है

- iii) सामान्य बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने का हक रखनेवाले शेयर धारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्राक्सी के रूप में किसी

और व्यक्ति को (चाहे शेयर धारक हो या नहीं) नियुक्त करने का हक रखते हैं परंतु इस तरह नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा।

69. विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- i) ऐसा शेयर धारक, जो केन्द्र सरकार या एक कम्पनी हो, यथास्थिति, संकल्प द्वारा किसी सामान्य बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में 'विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि', के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कम्पनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का व्यक्तिगत शेयर-धारक हो। इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति केन्द्रीय सरकार/कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं।

- ii) कोई भी व्यक्ति तब तक कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयर धारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा और मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से 4 दिन पहले-पहले प्रेषित नहीं कर दिया जाता।

70. प्राक्सी

- (i) परोक्षी (प्राक्सी) का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक वह व्यक्तिगत शेयर धारक के मामले में उनके या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो या संयुक्त धारकों के मामले में वह, पंजी में प्रथम दर्ज शेयर धारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो या नैगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो:

परन्तु यह कि किसी प्राक्सी का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित होगा, जो किसी



the Executive Director and any two of the directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act.

- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

CHAPTER VI

(VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS)

68. Determination of voting rights-

- (i) Subject to the provisions contained in section 3(2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation - For this Chapter, “Company” means any body corporate.

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be

entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

69. Voting by duly authorised representative-

- (i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorised (referred to as a “duly authorised representative” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorisation so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorised representative of the Central Government/ company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorised representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorised representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

70. Proxies

- (i) No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his attorney duly authorised in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if



कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो, यदि उस पर उस का निशान लगा दिया जाये और वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य सरकारी राज पत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाये ।

- ii) कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत मुद्रांकित न हो और उसकी प्रति बैठक के लिए निश्चित तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामा या अन्य किसी प्राधिकार-पत्र के साथ (यदि कोई हो), जिसके तहत वह हस्ताक्षरित है या उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, जमा न करा दी गयी हो बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार-पत्र इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में पहले ही जमा पंजीकृत न कराया जा चुका हो ।

- iii) एवजी (प्रॉक्सी) संबंधी कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होता जब तक वह फॉर्म 'बी' में न हो ।

- iv) बैंक में जमा कराया गया एवजी का लिखत अ-प्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगा ।

- v) वैकल्पिक रूप में दो अनुमोदित व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर एवजी (प्रॉक्सी) लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे ।

- vi) इस विनियम के तहत एवजी (प्रॉक्सी) की लिखत-मंजूर करने वाले व्यक्ति को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो ।

- vii) जो व्यक्ति बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत एवजी या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा ।





his mark is affixed thereto and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar or Assurances or other Government gazetted officer or an officer of the Bank.

- (ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.

- (iii) No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'

- (iv) An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final

- (v) In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

- (vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

- (vii) No person shall be appointed as duly authorised representative or proxy who is an officer or an employee of the bank.

◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नई - 600002

अस्बा के माध्यम से प्राथमिक शेयर बाज़ार में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर

आइ पी ओ / एफ पी ओ / अधिकार निर्गम के लिए आवेदन का मार्ग

- शुरुआती सार्वजनिक ऑफर / एफ पी ओ / राइट्स ऑफर के लिए भुगतान के विकल्प के रूप में सेबी द्वारा अस्बा को शुरू किया गया है ।
- इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, आवेदन की राशि ब्लॉक कर दी जाएगी और आबंटन के बाद ही इसे आवेदक के खाते में नामे किया जाएगा ।
- आंशिक आबंटन के मामले में आंशिक राशि ही नामे की जाएगी और शेष राशि के लिए ब्लॉक को हटा दिया जाएगा ।
- आबंटन न होने पर पूरी राशि के लिए ब्लॉक हटा दिया जाएगा ।

ग्राहकों को लाभ

- आबंटन होने तक राशि खाते से नहीं निकलती है ।
- चूँकि आबंटन होने तक राशि खाते से नहीं निकलती है, खाते में मौजूद रकम पर ब्याज मिलता है ।
- आबंटन न किए जाने या आंशिक आबंटन होने से धन की वापसी नहीं की जाती, सिर्फ शेष राशि के लिए ब्लॉक हटा दिया जाता है जिसके द्वारा धन वापसी आदेश की क्षति की कोई संभावना नहीं होती ।
- ग्राहक के लिए निगरानी करने में आसानी ।

वर्तमान परिदृश्य:

- 15.09.2011 तक हमारे बैंक की 376 शाखाएं असबा शाखा के रूप में पदनामित की गयी है जो लगभग सभी शहरों और 31 क्षेत्रों को कवर करती हैं ।
- अस्बा पदनामित केन्द्रों की सूची हमारे बैंक की वेबसाइट job.in पर उपलब्ध है ।
- अस्बा पदनामित केन्द्रों की सूची सभी शाखाओं में हमारे बैंक के इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है ।
- निवेशकर्ता जनता की सुविधा के लिए नेट पर संपर्क -व्यक्ति का पता , टेलीफोन नं. और नाम भी उपलब्ध है ।

**हमारे बैंक में आइ पी ओ / एफ पी ओ / अधिकार निर्गम के अन्तर्गत निर्बाध निवेश
हेतु आप सभी का स्वागत है**



Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai Chennai 600 002

GOLDEN OPPORTUNITY TO ENTER PRIMARY STOCK MARKET THROUGH ASBA

ROUTE TO APPLY FOR IPO / FPO / RIGHTS ISSUE

- ASBA introduced by SEBI as an alternative mode of payment for Initial Public Offer/ FPO/ RIGHTS OFFER
- Under this process, the application amount will be blocked and will be debited to Applicant's account only upon allotment
- In case of part allotment, part amount only will be debited and block for the balance amount will be removed.
- In case of non allotment, block for the entire amount will be removed.

Advantages to Client

- Money does not move out of the account till the allotment is made
- Earns interest in the account as funds do not move out till allotment
- No refund is involved for non allotment or partial allotment, only blocking is removed for the balance amount whereby there is no chance of loss of Refund Order.
- Easy to monitor for the client.

Current scenario:

- As on 15.9.2011 , 376 branches of our Bank are designated as ASBA Branches covering almost all cities and 31 Regions
- The list of ASBA designated centres are now available in our bank's website iob.in
- The list of ASBA designated centres are also available in our bank's intranet with all branches.
- For the convenience of investing public- address, telephone number and contact person names are also provided in the net.

**ALL ARE WELCOME TO A HAZZLE FREE INVESTMENT UNDER
IPO/FPO/ RIGHTS ISSUE IN OUR BANK**